


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

विविध प्रार्थना-पत्र संख्या-101/2016..... जिला जयपुर.....

उनवान : मैसर्स लॉरेश्वर पॉलीमर्स लिमिटेड जयपुर बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी-तृतीय, वाणि. कर, जयपुर

2. सहायक आयुक्त, वृत्त-ई, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/10/2016	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री मनोहर पुरी, सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह प्रार्थना-पत्र माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 1367/2016/जयपुर में पारित किये गये आदेश दिनांक 28.6.2016 के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें माननीय एकलपीठ द्वारा प्रकरण में अपीलीय प्राधिकारी-तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 10.06.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील के अन्तर्गत वसूल योग्य विवादित राशि की वसूली कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित करते हुए अपीलीय अधिकारी को उनके समक्ष लम्बित अपील का गुणावगुण पर तीन माह में निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये थे।</p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि माननीय कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 28.06.2016 के द्वारा निर्णय प्राप्ति से तीन माह की अवधि के लिये स्थगन दिया गया था, जिसकी अवधि दिनांक 27.09.2016 को पूरी हो चुकी है। किन्तु अपीलीय अधिकारी के स्तर पर प्रकरण का निस्तारण निर्धारित अवधि में नहीं होने के कारण स्थगन की अवधि प्रकरण के निस्तारण तक बढ़ाई जावे।</p> <p>बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रकरण में स्थगन की अवधि बढ़ाये जाने का विरोध करते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।</p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत विविध प्रार्थना-पत्र पर उभयपक्ष की बहस पर मनन करने तथा प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय कर बोर्ड की समन्वय एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 1367/2016/जयपुर में पारित आदेश दिनांक 28.06.2016 द्वारा दिये गये स्थगन की अवधि को दिनांक 30.12.2016 तक बढ़ाया जाता है। साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 30.12.2016 तक प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।</p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">  सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर </p>	